भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1450

दिनांक 02.12.2014/11 अग्रहायण, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

सुरक्षा बलों में रिक्त पद

†1450. एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकरः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों में रिक्त पड़े पदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन प्रत्येक एजेंसियों में पृथक महिला बटालियन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन एजेंसियों में नामांकन करवाने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क): सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और अन्य केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों अर्थात् केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स में रिक्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	बल	बल की कुल प्राधिकृत नफरी (1.11.2014 की स्थिति के अनुसार)	बल में कुल रिक्तियां (1.11.2014 की स्थिति के अनुसार)
1	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	3,03,535	17,284
2	सीमा सुरक्षा बल	2,44,861	7,198
3	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	1,40,676	12,925
4	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	78,740	11,482
5	सशस्त्र सीमा बल	88,469	12,153
6	असम राइफल्स	65,649	763

(ख): सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से, केवल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में अलग से महिला बटालियनें मौजूद हैं। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में छह स्वीकृत बटालियनें हैं। इन छह बटालियनों में से, तीन का गठन हो चुका है और ये क्रियाशील हैं।

(ग): केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में शामिल होने के लिए देश के युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैः-

(i) स्थानिक समाचार पत्रों सहित अग्रणी समाचार पत्रों के साथ-साथ रेडियो और टेलीविजन में प्रचार द्वारा बल विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके इस संबंध में व्यापक प्रचार करते हैं।

(ii) भर्ती प्रक्रिया में अधिक निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी के पद के लिए कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से एक केन्द्री कृत संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाती है। यह लिखित परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आप्टीकल मार्क रिकगनिशन (ओएमआर) सीटों पर ली जाती है, ताकि किसी भी प्रकार के घाल-मेल पर रोक लगाई जा सके। इन प्रश्न पत्रों को हिन्दी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में तैयार किया जाता है। नकल को रोकने के लिए, बायोमेट्रिक पहचान के तरीके अपनाए जाते हैं। धोखाधड़ी को रोकने के लिए भर्ती केन्द्रों पर सतर्कता टीमें तैनात की जाती है। धोखाधड़ी की शिकायतों की विश्वनीय रूप से पुष्टि होने पर तुरंत कार्रवाई की जाती हैं।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के साथ-साथ महिला और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

(iv) नियमित भर्तियों के अतिरिक्त, उन क्षेत्रों अथवा जिलों में आवश्यकतानुसार रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती रैलियां भी आयोजित की जाती हैं, जहां समय-समय पर भरी न गई रिक्तियों की संख्या काफी अधिक होती है। परीक्षा की प्रक्रिया से उम्मीदवारों को अवगत कराने के लिए, सीमावर्ती जिलों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के अभ्यर्थियों को विशेष भर्ती रैलियों के दौरान पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

***